7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1077–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–04–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा जिला विदिशा – प्रकरण क्रमांक 26/2014–15 अपील

औतारसिंह पुत्र अमरसिंह रघुवॅशी
निवासी ग्राम गजनई तहसील बासोदा
जिला विदिशा,मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– कम्मोद सिंह पुत्र स्व. भुगत सिंह रघुवंशी
ग्राम खैरूआ हाट तहसील विदिशा
2– अमरसिंह पुत्र स्व. भुगत सिंह
3– काशीवाई पत्नि स्व.भुगत सिंह रघुवंशी
दोनों ग्राम गजनई तहसील विदिशा
4– कमलावाई पुत्री भुगतसिंह पत्नि
तेरनसिंह ग्राम सींगाखेडी
5– मिंत्रावाई पुत्री भुगतसिंह पत्नि
रनवीरसिंह,लक्ष्मीनारायण की गली
बरेठ रोड बासोदा जिला विदिशा
6– गुडडीवाईपुत्री भुगतसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह
निवासी ग्राम स्यारी तहसील बासोदा
7– लीलावाई पुत्री भुगतसिंह पत्नि सरदारसिंह
ग्राम दासखजूरी तहसील नटेरन जिला विदिशा
8– शीलावाई पुत्री भुगतसिंह पत्नि पृथ्वीसिंह
बरेठ रोड व्लाक आफिस के पीछे गंजबासोदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक-1 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 2-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 26/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-04-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक खातेदार भुगन्त सिंह ग्राम गजनई में खाता क्रमांक 87 पर कुल किता 5 कुल रकबा 2.457 हैक्टर के भूमिस्वामी थे, जिनकी दिनांक 5-9-11 को मृत्यु होने पर बसीयत के आधार पर आवेदक ने तहसीलदार बासोदा के समक्ष नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार बासोदा ने प्रकरण क्रमांक 146 अ-6/2013-14 पंजीबद्ध किया तथा मृतक खातेदार भुगन्त सिंह के वारिसान अनावेदकगण का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष अपील क्रमांक 26/2014-15 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30-04-2015 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतक

भुगंत सिंह की भूमि पैत्रिक संपत्ति नहीं है जिसके कारण वह स्वअर्जित भूमि की बसीयत करने हेतु स्वतंत्र है। बसीयत के पुष्टीकरण में साक्षीगण के कथन कराये गये है और बसीयत प्रमाणित कराई गई है। भले ही स्वत्व घोषणा का दावा व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन हो, बसीयत प्रमाणित होने पर नामान्तरण करने में कोई रोक नहीं है किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बसीयत से परे अर्थ निकाले हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब मृतक खातेदार के अनुसूची एक के वारिस मौजूद हैं मृतक खातेदार स्वयं् के पुत्र पुत्रियों को छोड़कर मात्र एक पुत्र के पुत्र को संपूर्ण संपत्ति की बसीयत क्यों करेगा। तहसीलदार ने मृतक खातेदार के पुत्र/पुत्रियों का नामान्तरण किया है क्योंकि वह नामान्तरण कराने के अधिकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि तहसीलदार ने सभी के साथ आवेदक के पिता का भी नामान्तरण किया है यदि आवेदक को प्रथक से हिस्सा चाहिये तब वह अपने पिता से तदाशय की मांग कर सकता है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-4-15 में स्पष्ट कर दिया है कि वाद विचारित भूमि पर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद प्रचलित है और माननीय व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। जहॉ तक मृतक खातेदार व्दारा छोड़ी गई भूमि पर उसके विधिक वारिसान का

नामांत्रण किये जाने का प्रश्न है ? नामान्तरण प्रक्रिया शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने की कार्यवाही है । नामान्तरण कार्यवाही से स्वत्व का विनिश्चय नहीं होता है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 26/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-04-2015 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 26/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-04-2015 उचित पाये जाने से यथांवत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर